

भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ भाग-1, खण्ड-1  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं. 12 /2015-20 नई दिल्ली, दिनांक: 18 मई, 2015

विषय: पोतलदान पूर्व जांच प्रमाण-पत्रों को जारी करने के संबंध में विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया-पुस्तक 2015-2020 के पैरा 2.55 और 2.56 में संशोधन।

सार्वजनिक सूचना सं. 05 /2015-20 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के अधिक्रमण में जिसके द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.55 और 2.56 के प्रावधानों को अगले आदेशों तक आस्थगित रखा गया था तथा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया-पुस्तक के वर्तमान पैरा 2.55 और 2.56 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हैं।

पैरा 2.55 पोत-लदान पूर्व जांच एजेन्सी (पीएसआईए) के रूप में मान्यता तथा पोत-लदान पूर्व जांच प्रमाणपत्र (पीएसआईए) जारी करना

(क) पीएसआईए के संबंध में मान्यता हेतु आवेदन परिशिष्ट 2ठ में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाए। एएनएफ 2ठ में आवेदन-पत्र स्केन की गई प्रति को संबंधित अनुलगनकों और दस्तावेजों के साथ डाक द्वारा भेजे जाने के साथ-साथ डीजीएफटी को ई-मेल (psia-dgft@nic.in) पर भेजा जाना चाहिए।

(ख) भारतीय आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 7500/-रु. होगा तथा विदेशी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 200 अमरीकी डालर होगा। इस शुल्क को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(ग) आवेदनों पर एक अन्तर मंत्रालय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(घ) मान्यता प्राप्त पीएसआईए को तीन वर्षों के लिए वैध एक मान्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। 3 वर्ष समाप्त होने पर पीएसआईए को और अधिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक नया आवेदन देना होगा।

(ङ.) पीएसआईए पोत-लदान पूर्व जांच प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) परिशिष्ट 2ज में दिए गए प्रपत्र में जारी करेगा। पीएसआईसी में पीएसआईए को विशिष्ट रूप से अंकित होलोग्राम भी होगा।

(च) एक पीएसआईए अपने प्रचालन क्षेत्र के अन्दर आने वाले देशों जहाँ इसका पूर्णकालिक सुज्जित कार्यालय नहीं है वहाँ अपने निरीक्षकों को तैनात करके निरीक्षण कर सकता है। तथापि, दूसरे देशों में ऐसे निरीक्षण करने के लिए पीएसआईए को डीजीएफटी को (psic-dgft@nic.in)

पर ई-मेल भेजकर पूर्व सूचना भेजना तथा पीएसआईसी के निरीक्षक द्वारा किए गए दौरा/निरीक्षण का विवरण देना।

पैरा 2.56 पीएसआईए, आयातक और निर्यातक की जिम्मेदारी और देयता

(क) पीएसआईए के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यदि पीएसआईसी में कोई गलत घोषणा अथवा आवेदन पत्र में कोई गलत घोषणा की जाती है, तो पीएसआईए मान्यता के निलंबित/रद्द करने के अलावा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डनीय कार्रवाई का उत्तरदायी होगा।

(ख) आयातक और निर्यातक संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि आयातित माल पीएसआईसी में दी गई घोषणा के अनुसार है। किसी गलत घोषणा के मामले में, वे यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डनीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(ग) पीएसआईए द्वारा डीजीएफटी की वेबसाइट पर पीएसआईसी की स्केन्ड प्रति (पीडीएफ फार्मेट में) अपलोड की जाएगी अथवा डीजीएफटी को (psic-dgft@gov.in पर) ई-मेल की जाएगी।

(घ) पीएसआईए किए गए निरीक्षण के फोटो अथवा वीडियो बनाएगा जिसमें निम्नलिखित कार्यकलापों/विवरण को विधिवत प्रस्तुत किया जाएगा:

(i) पीएसआईए निरीक्षक (अनिवार्य रूप से) तथा निर्यातक/आयातक के प्रतिनिधियों, यदि उपलब्ध हो (वैकल्पिक रूप से) के साथ निरीक्षण के स्थान का फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग, जिसमें निरीक्षण का समय, दिनांक को दर्शाना (न्यूनतम एक फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग) शामिल है;

(ii) परीक्षण उपकरण (उपकरणों) के फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग;

(iii) निरीक्षण के लिए प्रयुक्त कंटेनरों को भरने की प्रक्रिया के फोटो अथवा वीडियो जिसमें कंटेनर संख्या को दर्शाया (प्रत्येक कंटेनर की न्यूनतम एक फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग) जाना चाहिए;

(iv) सीलिंग प्रक्रिया का फोटोग्राफ अथवा वीडियो क्लिपिंग (प्रत्येक कंटेनर का न्यूनतम एक फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग)।

(ड.) पीएसआईए द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से फोटोग्राफ और अथवा वीडियो क्लिपिंग (उपर्युक्त पैरा 2.56 (घ) के अनुसार) तथा पीएसआईएस को डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा अथवा पीएसआईए के पंजीकृत ईमेल द्वारा psic-dgft@gov.in को भेजा जाएगा। जब तक डीजीएफटी वेबसाइट के लिंक का प्रचालन किया जाए तब तक पीएसआईसी और फोटो/वीडियो को डीजीएफटी को ई-मेल (psic-dgft@gov.in पर) किया जाएगा।

(2) प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 और 2.56 में निर्धारित प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर सूचित किया है, दिनांक 01.07.2015 से लागू होगी।

(3) प्रक्रिया पुस्तक 2009-14 के पैरा 2.32.2क (ड.) के परिशिष्ट 5-ख में यथा निर्धारित प्रारूप में पूर्व-पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) को जारी करने के लिए प्रक्रिया, जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 2009-14 के पैरा 2.32.2क और 2.32.2ख में निर्धारित की गयी है, 30.06.2015 तक प्रभावित रहेगी।

(4) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा पीएसआईए (01.04.2015 में यथानिर्धारित) को विभिन्न देशों इत्यादि में अपने कार्यालयों/शाखाओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण को अद्यतन करने तथा अपने प्रचालन क्षेत्र में विस्तार में, यदि ऐसा करना वांछित हो, विस्तार करने हेतु अपने नए आवेदन एएनएफ 2ठ में भरकर 8 जून, 2015 तक प्रस्तुत करने होंगे। नए आवेदन जो पोतलदान पूर्व निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए अपना आवेदन भी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नए आवेदक जो (दिनांक 01.07.2007 से) पोतलदान पूर्व निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे 8 जून, 2015 तक एएनएफ 2ठ में निर्धारित प्रपत्र (नए प्रारूप) में भी आवेदन कर सकते हैं।

(6) पीएसआईए के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन का संशोधित प्रारूप (एएनएफ 2ठ) तथा पीएसआईसी का संशोधित प्रारूप (परिशिष्ट 2ज) इस सार्वजनिक सूचना के क्रमशः अनुलग्नक क और अनुलग्नक ख में संलग्न है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

(i) पूर्व-पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) को जारी करने के लिए पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसी द्वारा अनुसरण किए जाने वाली संशोधित प्रक्रिया को दिनांक 01.07.2015 से अधिसूचित कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 30.06.2015 तक अन्तरवर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, पीएसआईए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड I, 2009-14 के परिशिष्ट 5ख में निर्धारित प्रारूप में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड I, 2009-14, के पैरा 2.32.2क और 2.32.2ख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व-पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) को जारी करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) प्रचालन आदि के क्षेत्र में मान्यता/विस्तार के लिए मौजूदा पीएसआईए द्वारा साथ ही नए आवेदकों द्वारा आवेदन के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया गया है।

( प्रवीर कुमार )  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा0सं0 01 / 53 / 162 / विविध / पीएसआईए / एएम15 / एस-5 / आईसी से जारी)

आयात निर्यात प्रपत्र-2ठ

धातु स्क्रेप के लिए पूर्व पोतलदान निरीक्षण एजेन्सी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन  
(प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 2.55 देखें)

1.1	एजेन्सी का नाम	
1.2	मुख्यालय का पता*	
1.3	अदा किए गए आवेदन शुल्क का विवरण	डी.डी./ बैंक रसीद सं० ..... दिनांक ..... राशि ..... बैंक का नाम और इसकी शाखा जिससे आहरण किया गया है।

\* पता का प्रमाण आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

2. धातु स्क्रेप की जाँच के लिए अनिवार्य जाँच उपकरण/ मशीनरी

तालिका 2.1

क्रम सं०	उपकरण का विवरण	बनावट और मॉडल नं०	विशिष्ट सं.
i.	हाथ से चलने वाले विकिरण सर्वेक्षण मीटर		
ii.	रेडियो नाभिकीय आइडेंटिफाईयर		
iii.	तरल/प्लास्टिक/चूर्ण/कण/ठोस/ धात्विक तथा गैर धात्विक स्क्रेप/ अपशिष्ट का पता लगाने में सक्षम विस्फोटक ढूँढने वाली प्रणाली		

अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो, अलग कागज पर संलग्न करें

विशिष्ट संख्या दर्शाते हुए औजारों का फोटोग्राफ अवश्य संलग्न करें जिसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके । औजारों का खरीद बीजक अवश्य संलग्न करें ।

2.2 प्रयोगशाला सुविधाओं सहित उपलब्ध अन्य उपकरण सूची:

तालिका 2.2

क्रम सं.	उपकरण/प्रयोगशाला सुविधा	क्षमता	विशिष्ट सं.
1.	हाथ से चलने वाले विकिरण सर्वेक्षण मीटर		
2.	रेडियो नाभिकीय आइडेंटिफाईयर		
3.	तरल/प्लास्टिक/चूर्ण/कण/ठोस/ धात्विक तथा गैर धात्विक स्क्रेप/ अपशिष्ट का पता लगाने में सक्षम विस्फोटक ढूँढने वाली प्रणाली		

विशिष्ट संख्या दर्शाते हुए औजारों का फोटोग्राफ अवश्य संलग्न करें जिसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके । औजारों का खरीद बीजक अवश्य संलग्न करें ।

3. **सदस्यता:**

क्रम सं०	संगठन का नाम	कब से सदस्य हैं
i.	इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंसपेक्शन एजेंसीज (आई एफ आई ए), लंदन	
ii.	इन्स्टीच्यूट ऑफ स्क्रेप रिसाइक्लिंग इन्डस्ट्रीज (आई एस आर आई) वार्शिंगटन डी सी	
iii.	ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइक्लिंग, बेल्जियम	
iv.	मेटल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया	

सदस्यता दर्शाने के लिए कृपया ऐसे दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें ।

4. **धातु निरीक्षण में अनुभव**  
पिछले पाँच वर्षों में जाँच किए गए धातु स्क्रेप की मात्रा (मी.टन में)/ गन्तव्य देशवार

**तालिका 4.1 फ़ैरस स्क्रेप के लिए**

क्रम सं.	निर्यात करने वाला देश	गन्तव्य देश	पिछले वर्षों में जांच किए गए धातु स्क्रेप की मात्रा					योग
			वर्ष 5	वर्ष 4	वर्ष 3	वर्ष 2	वर्ष 1	
1.								
2.								
3.								
4.								
	कुल योग :							

**तालिका 4.2 नॉन फ़ैरस स्क्रेप के लिए**

क्रम सं.	निर्यात करने वाला देश	गन्तव्य देश	पिछले पांच वर्षों में जांच किए गए गैर-फ़ैरस स्क्रेप की मात्रा					योग
			वर्ष 5	वर्ष 4	वर्ष 3	वर्ष 2	वर्ष 1	
1.								
2.								
3.								
4.								
	कुल योग :							

5. **कम्पनी की पिछली वार्षिक रिपोर्ट/तुलन पत्र की प्रति संलग्न करें ।**

6. **प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संचालन का निर्दिष्ट क्षेत्र**

7. मुख्य कार्यालय का पता .....

7.1 शाखा कार्यालयों का पता/पते .....

(जहां से निरीक्षण किया जाएगा)

(क) पी एस आई ए के संचालन का क्षेत्र एजेंसी की क्षेत्र स्थिति के अनुसार होगा और एजेंसी को उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले अपने सभी कार्यालयों के पते घोषित करने होंगे ।

(ख) एजेंसी अपने प्रचालन के क्षेत्रों के भीतर देश के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

(ग) अन्य देशों में निरीक्षण के लिए, पीएसआईए को डीजीएफटी को पूर्व में सूचना देनी होगी। निरीक्षक द्वारा दौरा तथा किए गए निरीक्षण का साक्ष्य/ब्यौरा भी प्रदान करना होगा।

8. मानव शक्ति: जाँच करने वाले व्यक्तियों / निरीक्षकों जो निरीक्षण करेंगे का विवरण:

जांचकर्ता अधिकारी की न्यूनतम योग्यता 10+2 /विज्ञान के साथ वरिष्ठ उच्च विद्यालय (भौतिकी और रसायन) से कम न हो ।

क्रम सं०	तकनीकी व्यक्ति(यों) का नाम	पता	राष्ट्रीयता	फोन नं०	ई मेल पता	योग्यता	धातु अपशिष्ट की जाँच में अनुभव

कर्मचारी की योग्यता का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट की स्कैन्ड प्रति संलग्न करें।

8.1 क्या आपको जाँच कार्यकलाप करने के लिए भारत सरकार अथवा किसी अन्य सरकारों द्वारा विवर्जित/असूचीबद्ध किया गया है । यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें ।

8.2 क्या आपके विरुद्ध किसी अन्य देश/न्यायिक प्राधिकरण में कोई न्यायिक/ अर्द्ध न्यायिक कार्रवाई चल रही है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें ।

9. एजेंसी द्वारा जमा 10 लाख रु. या 20000 अमेरिकी डालर की बैंक गारंटी का ब्यौरा डीडी/बैंक रसीद सं..... दिनांक..... राशि ..... बैंक का नाम और इसका शाखा जहां आहरित है।

### घोषणा पत्र

- (1) मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है ।
- (2) मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/ समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या छूठी साबित होगी तो मुझे/ हमें बैंक गारंटी जब्त कर लिए जाने और कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़े सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो ।
- (3) मैं/ हम एतद्वारा शपथ लेता हूँ/ लेते हैं कि यदि यह पाया गया कि खेप स्कैप नहीं है अथवा इसमें निषिद्ध मर्द मौजूद हैं, तो मुझे मान्यता प्रमाण-पत्र के निलंबन/ निरस्तीकरण के साथ-साथ 10 लाख रुपए (यदि भारत में आधारित हो) अथवा 20,000 अमरीकी डालर (यदि विदेश में आधारित हो) का दण्ड अदा करना होगा ।
- (4) मैं/हम विदेश व्यापार नीत, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 और निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के तहत बने नियमों व आदेशों , विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का पालने करने की शपथ लेता हूँ/ लेते हैं ।
- (5) मैं/ हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हं कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/ फर्म का न्यासी/ कम्पनी, जैसा कि मामला हो, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/ कम्पनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों) / निदेशक (निदेशकों) कर्ता/ न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की जानकारी में प्रतिकूल है ।

- (6) मैं / हम सत्यापित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म/ कम्पनी का स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी / साझीदार/निदेशक/कर्ता/ न्यासी के रूप में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी सूची में आती है ।
- (7) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि पैरा 2 के अनुसार धातु स्क्रेप की जांच के लिए विकिरण जांच उपकरण/मशीनरी की विनिर्माता के विनिर्देशनों के अनुसार आवधिक रूप से जांच की जाती है। यह सुनिश्चित नहीं कर पाने की स्थिति में मैं/हम विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई जैसा भी उचित समझा जाए, के लिए जिम्मेवाद होऊंगा/होंगे।
- (8) मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम पदनाम कार्यालय का पता दूरभाष आवासीय पता ई-मेल पता	स्थान    दिनांक
--	-----------------------------

सील

उपकरण का ब्यौरा

हस्त सर्वेक्षण मीटर

मॉडल	बनावट (विनिर्माता का नाम और पता)	क्रम सं.	जांच की आखिरी तारीख	मानीटर उर्जा श्रेणी 60 केईवी से 1.33 एमईवी (फ्लैट उर्जा प्रत्युत्तर) में उपयुक्त है अथवा नहीं	*मानीटर 1 यूरेम प्रति घंटे से मात्रा दर के लिए उपयुक्त है या नहीं	मानीटर का प्रत्युत्तर समय (सेकेण्ड में)	एलार्म (दृश्य श्रव्य) सेटिंग मानीटर (सेकेण्ड में) का प्रावधान
				हाँ/नहीं		हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

सुवाह्य स्पेक्ट्रोमीटर

मॉडल	बनावट (विनिर्माता का नाम और पता)	क्रम सं.	स्वजांच का प्रावधान	उपकरण उर्जा श्रेणी 40 केईवी 40 से 3.0 एमईवी में उपयुक्त है या नहीं	मानीटर 1 म्यूरेम प्रति घंटे से मात्रा दर के लिए उपयुक्त है या नहीं	वास्तविक स्पेक्ट्रम प्रदर्शन	पीसी में स्पेक्ट्रम की स्टोरेज और अंतरण	1 म्यूरेम प्रति घंटे (सेकण्ड में) के विकिरण स्तर में सीएस-137 स्रोत की पहचान करने में लिया गया समय	सीओ 60, सीएस 137, आईआर 192, एनओआर एम जैसे सामान्य रूप से सामना किए गए रेडियो न्यूक्लाइड्स की स्वतः पहचान	अलार्म (दृश्य श्रव्य) सेटिंग के लिए प्रावधान
			हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

\* प्रत्युत्तर समय: यह मीटर रीडिंग को स्थिर करने हेतु रेडिएशन मानीटर द्वारा लिया गया समय है (विशेष रूप से इसे प्राकृतिक पृष्ठभूमि स्तरों पर फील्ड इंस्ट्रुमेन्ट के लिए 2-3 सेकेण्ड का होना चाहिए।)

टिप्पणी: व्यावहारिक प्रयोजन के लिए (सम्पूर्ण शरीर प्रभाव के साथ गामा विकिरण):  
 $1\mu R = 1\mu rem = 0.01\mu Gy = 0.01\mu Sv = 10nSv$

परिशिष्ट 2-ज

पोतलदान पूर्व जांच प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह पोतलदान-पूर्व जांच प्रमाण पत्र धात्विक अपशिष्ट और छीजन के श्रेडेड, अन्श्रेडेड, सम्पीडित और खुले रूप के आयात के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 के संबंध में जारी किया गया है।

मैं एतद्वारा निम्नानुसार विवरण प्रमाणित करता हूं :

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि मैंने खेप की प्रत्यक्ष रूप से जांच कर ली है और निम्नलिखित को प्रमाणित करता हूं :

(क) आयात खेप ऐसे वर्गीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार वास्तव में धात्विक छीजन/पुरानी/दोषपूर्ण है।

(ख) खेप में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी-7 के रूप में वर्गीकृत आयनीकरण विकिरण से संबंधित कोई निशान और/या खतरनाक माल के परिवहन से संबंधित कोई निशान नहीं है।

(ग) आयातक का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) नाम .....
- (ii) पता .....
- (iii) आयातक निर्यातक कोड सं० .....
- (iv) दूरभाष नं० ..... (मोबाइल).....
- (v) ई-मेल .....

(घ) निर्यातक का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) नाम: .....
- (ii) पता: .....
- (iii) दूरभाष: ..... (मोबाइल).....
- (iv) ई-मेल: .....

(ड.) छीजन का प्रकार : श्रेडेड/अन्श्रेडेड

(च) आयात का विवरण और मात्रा:

धात्विक स्क्रेप का विवरण

क्रम सं.	कंटेनर सं.	सील सं.	मात्रा (मीट्रिक टन में)	बैकराउंड रेडिएशन स्तर	कंटेनर रेडिएशन स्तर
				( $\mu\text{Sv/h}$ )	( $\mu\text{Sv/h}$ )

\*टिप्पणी1: पीएसआईए/निर्यातक द्वारा लगाई गई सील का नम्बर

टिप्पणी2: उन मामलों में जहां पर निर्यातक देश के सीमा-शुल्क विभाग ने सील (कंटेनर के निरीक्षण के बाद) लगा दी है, लदान बिल पर दर्शाए गए परिवर्तन लागू होंगे।

- (छ) (i) जांच का देश .....
- (ii) जांच का स्थान .....
- (iii) जांच की तारीख .....
- (iv) जांच की अवधि (घण्टों में)..... से .....तक
- (v) यदि उस देश में जांच की जाती है जहाँ पीएसआईए का सुसज्जित शाखा कार्यालय नहीं है तो ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना की तारीख (psia-travel-dgft@nic.in) पर \_\_\_

(ज) प्रयोग किए गए विकिरण सर्वेक्षण मीटर का ब्यौरा:

- बनावट-
- माडल-
- क्रम सं.-
- अंशांकन की अन्तिम तारीख-

### घोषणा

(1) खेप में, प्रयोग किया गया अथवा नहीं किया गया किसी भी प्रकार का हथियार, गोलाबारूद, माइन्स, शैल्ज, कार्टरिज या किसी भी रूप में कोई अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं हो और कि खेप की विकिरण स्तर के लिए जांच गई थी और इसमें प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अतिरिक्त विकिरण स्तर (गामा और न्यूट्रॉन) नहीं है। **खेप का विकिरण स्तर स्वीकृत मात्रा के भीतर हैं और भारत में निर्यात किए जाने हेतु उपयुक्त है।**

(2) निरीक्षण की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट और पीएसआईसी की स्कैन की गई प्रति के साथ की गई जांच के फोटोग्राफ वीडियो क्लिप को डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है/डीजीएफटी को ई-मेल (psia-dgft@nic.in पर) कर दिया गया है।

(3) मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

पीएसआईए की मुहर

पीएसआईए का विशेष  
संख्या का होलोग्राम

पदनाम .....

पता (कार्यालय) .....

ई-मेल .....

दूरभाष सं. ....

पीएसआईए का नाम (परिशिष्ट 2छ के अनुसार) .....

पता.....

दूरभाष सं० .....

ई-मेल .....